न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 37/2017

रामभरोष पुत्र श्री धन्नालाल जाति धाकड निवासी भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

....वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंघव (आरएएस)

वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांकः 19.06.2017

निर्णय दिनांक : 18.09.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की नानी काली बेवा धूल्या, मौसी नटी, रामकरणी बेटी धूल्या की कृषि भूमि वाके माल पाकलखेडा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां में खाता संख्या 170 खसरा नं0 286 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 294 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 372 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 573 रकबा 0.81 है0, खसरा नं0 574 रकबा 0.02 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.33 है0 दर्ज रेकार्ड है। काली बेवा धूल्या का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से हैः—

काली बाई (फोत)

ओंकारी बाई पुत्री (फोत) — नटी पुत्री (अविवाहित फोत) — रामकरणी पुत्री (अविवाहित फोत)

ओंकारी बाई पुत्री (फोत) → रामभरोष पुत्र

ओकारी बाई पत्नि धन्नालाल पुत्री धूल्या विवाहित थी और नटीबाई, रामकरणी पुत्रीया अविवाहित थी जो काफी अरसा पूर्व फोत हो चुकी है। काली बाई बेवा धूल्या जाति धाकड निवासी पाकलखेडा के कोई पुत्र नही होने से तथा पति व दोनो अविवाहित पुत्रीयों की मृत्यु होने से कालीबाई ने अपने जीवनकाल में ही वादी रामभरोष को जो रिश्ते में काली बाई का दोहिता (नवासा) है को अपने पास पुत्रवत रख लिया था और धूल्या की मृत्यु बाद काली बाई खुद वादी रामभरोष पुत्र धन्नालाल जाति धाकड के साथ भीम पुरा तहसील दीगोद जाकर रहने लगी एवं स्वेच्छा से दिनांक 08.10.1992 को समक्ष गवाहान एक 20 रू0 के स्टाम्प व एक सादा कागज पर एक लिखित वसीयत नामा तहसील दिगोद में काली बाई ने वादी के नाम

खारिज करवाया। उक्त आराजी के वर्तमान खाता संख्या 170 में अंकित सभी खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है तथा मृतक खातेदारों का वादी एक मात्र उत्तराधिकारी है। अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादर डिक्री इस आशय की प्रसारित की जावें कि वादी को विवादित आराजी वाके ग्राम पाकलखेडा तहसील मांगरोल जिला बारां में खाता संख्या 170 खसरा नं0 286 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 294 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 372 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 573 रकबा 0.81 है0, खसरा नं0 574 रकबा 0.02 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.33 है0 पर विधिवत खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 19.06.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल जो कि राज्य सरकार का पैरोकार है को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल ने अपने पत्र कमांक/39/केम्प शाहपुरा दिनांक 07.06.2018 से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम पाकलखेडा तहसील मांगरोल जिला बारां में खाता संख्या 170 खसरा नं0 286 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 294 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 372 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 573 रकबा 0.81 है0, खसरा नं0 574 रकबा 0.02 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.33 है0 की राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी की मां ओंकारी बाई खातेदार दर्ज नही है। अतः मृतक औकांरी बाई के स्थान पर उसके वारिसान का नाम दर्ज नही किया जा सकता।

तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल की जांच रिपोर्ट के संदर्भ में वादी द्वारा ग्राम पचांयत मूण्डला पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 25.06.2015 प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक काली बाई बेवा धूल्या का एक मात्र वारिस रामभरोस पुत्र धन्नालाल जाति धाकड निवासी भीमपुरा तह0 दीगोद होना प्रमाणित किया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 18.09.2018 को वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिसका उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है। वादी द्वारा ग्राम पंचायत शाहपुरा पंचायत समिति अन्ता द्वारा दिनांक 17.09.2018 को जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया किया जिसके अनुसार काली बेवा धूल्या, नटी, रामकरनी पुत्रियां धूल्या जाति धाकड निवासी भीमपुरा तह0 दिगोद की मृत्यु हो चुकी है, जिनका एक मात्र वारिस काली बेवा धूल्या की पुत्री औंकारी बाई का पुत्र रामभरोस पुत्र धन्नालाल जाति धाकड निवासी भीमपुरा तह0 दिगोद जिला कोटा है। अतः सुनी गयी बहस तथा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मूण्डला व ग्राम पंचायत शाहुपरा के आधार पर काली बेवा धूल्या का एकमात्र जीवित वारिस रामभरोस पुत्र धन्नालाल जाति धाकड निवासी भीमपुरा तह0 दिगोद जिला कोटा होना प्रमाणित होता है। अतः वाद वादी

स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम पाकलखेडा तहसील मांगरोल जिला बारां में खाता संख्या 170 खसरा नं 286 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 294 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 372 रकबा 0.88 है0, खसरा नं0 573 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 574 रकबा 0.02 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.33 है0 आराजी में दर्ज नाम नटी, रूपकरनी बेटी धूल्या का नाम अविवाहित फौत हो जाने के कारण हजफ किया जावे व काली बेटा धूल्या के फौत हो जाने के कारण उसके वारिस होने के नाते रामभरोस पुत्र धन्नालाल जाति धाकड निवासी मीनपुरा तह0 दिगोद जिला कोटा का नाम उक्त आराजी में खातेदार के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन